कि नीचे दिये गये आंकड़ों से पता चलता है:—

वर्ष	बीमित राशि (करोड़ रुपये)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
व्यक्तिगत बीमा		
1985–86	714	28.6
1986–87	934	30.5
1987–88	1327	42.0
सामूहिक बीमा		
1985–86	1875	13.4
1986–87	2016	7.5
1987–88	2217	10.0

(ख) जीवन बीमा निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में वर्ष 1986–87 के दौरान कुल 195 करोड़ रुपये की प्रीमियम राशि एकत्रित की गई थी जो वर्ष 1987–88 के दौरान बढ़कर 240 करोड़ रुपये हो गई । एजेंटों की संख्या भी, जो 31–3–1986 को 2, 403 थी, 31–3–1987 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 24,364 हो गई ।

( ) सरकार की विभिन्न समाजोन्मुख योजनाओं में धनराशि का निवेश करके, जीवन बीमा निगम उत्तर प्रदेश के लोगों को आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इन निवेशों में उत्तर प्रदेश में स्थित कम्पनियों के शेयरों और डिबेंचरों में निवेश करने के साथ-साथ आवास योजनाओं हेतु राज्य सरकार को ऋण देना, शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियों, तथा नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, चीनी सहकारी समितियों, राज्य-बिजली बोर्डों आदि को ऋण देना सम्मिलित है । 31 मार्च, 1987 तक की स्थिति के अनुसार, जीवन बीमा निगम ने उत्तर प्रदेश में कुल 609.85 करोड़ रुपये की धनराशि का निवेश किया है जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों में लगाई गई 58.40 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है ।

उत्तर प्रदेश के लिए केन्द्रीय सहायता

1611. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये कितनी मात्रा में केन्द्रीय सहायता/सहायता अनुदान दिया गया है और किन-किन शर्तों पर ;

(ख) इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की मांग कितनी थी ; और

(ग) इस प्रकार से उपलब्ध कराई गई सहायता के परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में क्या सुधार होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढवी) : (क) वर्ष 1987-88 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को सूखा राहत के लिए 155.74 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी । वर्ष 1987-88 के दौरान सूखा राहत के लिए राज्य को सीमान्त धन में केन्द्र के हिस्से के 8.57 करोड़ रुपए तथा 109.52 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता दी गई थी ।

सीमानत धन में केन्द्र का हिस्सा सीमान्त धन में राज्य के हिस्से के बराबर होता है और इसका निर्धारण वित्त आयोग द्वारा किया जाता है । राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से का सीमान्त धन अपने संसाधनों से सूखा राहत पर व्यय कर दिए जाने के पश्चात् सीमान्त धन में केन्द्र का हिस्सा प्रदान किया गया था । सीमान्त धन से अतिरिक्त सहायता अग्रिम योजना सहायता के रूप में दी गई थी जिसे सूखे के बाद के 5 वर्ष की अवधि के दौरान राज्य-योजना के लिए केन्द्रीय सहायता में समायोजित किया जाना था और इस राशि में से 70 प्रतिशत राशि, 9.25 प्रतिशत की ब्याज दर पर 15 वर्ष की अवधि के लिए ऋण के रूप में और 30 प्रतिशत पूर्णतया अनुदान के रूप में माना जाता है ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1987-88 के दौरान 1314.11 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता की मांग की थी ।

(ग) केन्द्रीय सहायता सूखा प्रवण क्षेत्रों में चालू सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा करने, नगर जल आपूर्ति योजनाओं को पूरा करने/उनके कार्य में तेजी लाने तथा ऐसे लाभकारी उत्पाद-जन्य रोजगार के लिए प्रदान की गई थी, जो भविष्य में इस प्रकार के व्यय की आवश्यकता को दूर करेगा । चुनिन्दा सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए किए जा रहे अतिरिक्त व्यय से सिंचाई-क्षमता में वृद्धि होगी और कृषि-पैदावार बढ़ेगी । सूखा सहायता, पोषण संबंधी कमी को पूरा करने, स्वास्थ्य संबंधी उपायों, पशुओं के लिए चारे, बीज सहायता आदि के लिए भी प्रदान की गई है जो सूखे की परिस्थितियों के बावजूद भी उत्पादन क्षमता को बनाए रखेगी और उसे सहायता पहुंचाएगी ।

Memorandum of understanding signed with Bofors

1612. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:
SHRI LAL K. ADVANI:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) what are the restrictions on destination under the Memorandum of Understanding with Bofors;

(b) how much value the contracts, in terms of the MOU have been effected as yet and the way in which Bofors has got payments of profits|service charges thereon, alongwith their estimated amounts;

(c) what additional outlets for Indian goods have been provided as yet by Bofors;

(d) whether it is a fact that Bofors are facing charges of mal-practices and bribes in their own country Sweden and also in Singapore and other countries; and

(e) if so, whether Government propose to terminate dealings with such a party; if not, why?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DAS MUNSHI): (a) to (e) Under the MOU signed by STC with M|s. Bofors, exports of commodities, products and services produced in India in part or in full are eligible for export as mutually agreed. An understanding has also been reached that exports to rupee payment areas, Israel and South Africa, exports of textiles/garments and coffee to quote countries, carpetbacking cloth to North America, shirmps to Japan and USA, cashew kernels to USA and tea (bulk) to UK are not qualified for counting towards export efforts under the MOU.

Export shipments worth Rs. 15.23 crores have been effected till early May, 1988. Letters of Credit and other financial arrangements have been made for further shipment of goods worth Rs. 18 crores (approx). Under the MOU, STC is entitled to a service charges of 0.25 per cent of the FOB value of exports. No service charge is payable to Bofors for it.

Additional exports outlets cover the export markets in Norway, Sweden, Belgium, Canada etc.

Certain allegations have been published against M|s. Bofors. However, in view